संख्या–270/VI/2005–3(3) टी0सी0/2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

देहरादून दिनांक 3/ मार्च, 2005

पर्यटन अनुभाग:

विषयः–पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत धनावंटन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–661/2–6–471/05 दिनांक 19–3–2005 एंव आपके पत्र संख्या–668/2–6–471/05 दिनांक 23–3–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाओं हेतु रू0 110.22 लाख के आगणनों के विरूद्व टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 87.92 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रूपये 38.58 लाख (रूपये अडतीस लाख अठावन हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में कराये जाने हेतु व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

कमस0	योजना का नाम	योजना की गूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	भवली– अल्मोड़ा मार्ग पर रामगाड स्थित झरने का पर्यटन विकास	34.93	30.50	10.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नैनीताल
2	ब्रहमस्थली बधाणथली का पर्यटन विकास	46.31	38.44	10.00	–तदैव–
3	ग्राम पवेला के नागराजा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	3.26	2.78	2.78	खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग
4	गोमुख में लक्ष्मीनारायण मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	5.20	4.05	4.05	खण्ड विकास अधिकारी देवप्रयाग
5	चन्द्रबदनी में पार्किंग स्थल एंव यात्री शेड का निर्माण	20.52	12.15	11.75	खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग
	योग	110.22	87.92	38.58	

(रूपये अडतीस लाख अठावन हजार मात्र)

2– मन्दिरों का अनुरक्षण सम्बन्धित मन्दिर समिति व अन्य कार्यो का अनुरक्षण सम्बन्धित नगर/जिला पंचायत आदि द्वारा किया जायेगा । और इसके लिये अलग से कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त संस्थाओं/समितियों से इसकी लिखित बचनबद्वता प्राप्त कर ली जायेगी ।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

11–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

13–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

14–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

15–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

16–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

17–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर– 49–पर्यटन विकास की नई योजनाएँ–24–वृहत्त निर्माण कार्य के मामें डाला जायेगा।

18–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1105/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– VI/2005–3(3) पर्य 2004 टी0सी0/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, टिहरी/नैनीताल ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी/नैनीताल ।
5– वित्त अनुभाग–3,
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव